

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल, अनूपपुर (म०प्र०)

E-mail : dfotanppur@mp.gov.in;

Ph. No. (07659) 222038

क्रमांक/मा० चि०/2017/ 2862

अनूपपुर, दिनांक 19/7/2017

प्रति,

✓ महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण विकास प्राधिकरण

परियोजना क्रियान्वयन इकाई अनूपपुर

विषय:-

अनूपपुर जिले के कोतमा विकास खण्ड के अंतर्गत पिपरिया से सारिसताल मार्ग लंबाई 4.500 कि.मी. के वनक्षेत्र स्थित भाग उन्नयन एवं पुल/पुलियों के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान करने बावत्।

संदर्भ:-

1- आपका पत्र क्रमांक/317/तक/म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा./2017 दिनांक 20.03.2017.

2- मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल का पत्र क्रमांक/मा.चि./5153 दिनांक 04.07.2017.

—oOo—

विषयांतर्गत अनूपपुर जिले के वन परिक्षेत्र बिजुरी के अंतर्गत ग्राम पिपरिया से सारिसताल मार्ग लंबाई 2.100 हे. वन भूमि का प्राप्त प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अनुशांसा सहित प्रेषित किया गया है, विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रकरण का नाम	आरक्षित/संरक्षित वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7
1	पिपरिया से सारिसताल	नंदलाल पतेरा	आर.एफ. 537, 538 पी.एफ. 539	2800	7.50	2.100 हे.

म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-11/2006/10-3 दिनांक 02.06.2016 के पालन में निम्नलिखित शर्तों के अधीन वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रथम चरण की सहमति प्रदान की जाती है।

1- वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

2- वन भूमि पर मार्ग निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपयोग में नहीं ली जायेगी।

3- वनों के संरक्षण अनुरक्षण तथा संवर्धन के हित में राज्य शासन/वन विभाग द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की गई अन्य शर्तों का पालन आवेदक/संस्थान द्वारा किया जावेगा।

4- मार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाले वन भूमि में प्रस्ताव अनुसार वनस्पति और प्राणी जाति के दुर्लभ/विशिष्ट/संकटापन प्रजातियां नहीं पाई जाती है।

5- आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य का भाग नहीं है।

6- वन क्षेत्र के अंदर के गिट्टी, मिट्टी, मुरुम, रेता आदि का संग्रहण एवं उत्खनन नहीं किया जायेगा।

7- मार्ग के निर्माण में किसी भी वृक्ष को काटा नहीं जायेगा।



- 8- सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वन भूमि पर कार्य किया जायेगा। सूर्य अस्त के बाद वन भूमि में कोई कार्य नहीं किया जायेगा।
- 9- भारत सरकार, राज्य सरकार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा वनमण्डलाधिकारी द्वारा भविष्य में कोई नई शर्त लागू की जावेगी उसे आवेदक/संस्था को मानना होगा।
- 10- वन भूमि पर श्रमिक कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
- 11- वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर द्वारा यदि आवश्यक समझा जावेगा तो सड़क के दोनो ओर परियोजना लागत पर वृक्षारोपण करवाया जावेगा जिसका रख-रखाव परियोजना लागत पर किया जावेगा।
- 12- सड़क उन्नयन कार्य के कारण यदि वनक्षेत्र में कोई नुकसान होता है तो आवेदक संस्थान द्वारा ऐसे क्षति की भरपाई की जावेगी।
- 13- सड़क चौड़ीकरण 7.50 मीटर से अधिक नहीं किया जावेगा।
- 14- नेट प्रजेन्ट वैल्यू के भुगतान हेतु राशि 1182300/- (ग्यारह लाख बयासी हजार तीन सौ) एडहॉक कैम्पा में ई-पेमेंट के माध्यम से जमा करें तथा जमा की गई राशि की प्राप्ति इस कार्यालय में जमा करें।
- 15- प्रतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि 2.100 हे. उपलब्ध करावें ताकि वनीकरण योजना तैयार कर राशि वसूल किया जा सके।
- 16- अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों अधिनियम 2006 के व्यक्तिगत/सामुदायिक वनाधिकार दावे प्रस्तुत नहीं किये जाने संबंधी कलेक्टर अनूपपुर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।
- 17- भविष्य में भारत सरकार/राज्य सरकार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि यदि भविष्य के अंतर की राशि जो देय होगा, उसे आवेदक संस्थान जमा करने हेतु बाध्य होगा।

उपरोक्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन/वचन पत्र प्राप्त होने के बाद औपचारिक स्वीकृति पृथक से प्रदान की जावेगी।

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर
(Signature)

पृ0क्रमांक/मा0 चि0/2017/
प्रतिलिपि :-

अनूपपुर, दिनांक

- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2- मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 3- उप वन मण्डलाधिकारी अनूपपुर एवं वन परिक्षेत्राधिकारी बिजुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

(Signature)
वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर

नेट प्रजेन्ट वैल्यू राशि मांग पत्रक

सामान्य वनमण्डल अनूपपुर

क्र.	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वनखण्ड का नाम आरक्षित/संरक्षित	वन कक्ष क्र.	वन क्षेत्र हे. में	वन की ईको वैल्यू श्रेणी	वन का घनत्व	नेट प्रजेन्ट वैल्यू प्रति हे. (लाख में)	कुल नेट प्रजेन्ट वैल्यू राशि
1		2	3	4	5	6	7	8	10
1	पिपरिया से सारिसताल	बिजुरी	नंदलाल पतेरा	RF 537 RF 538 PF 539	2.100 हे.	IV B	04 एवं 05	5.63 लाख	11.823 लाख

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर

[Signature]